माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 4 मई, 2021 को सायं 06.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया:

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार............. **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडा: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19 दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020* में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

वैश्विक स्तर पर कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रसार और WHO के द्वारा घोषित महामारी को देखते हुए माननीय शीर्ष अदालत ने उपरोक्त वर्णित Suo Motu Writ Petition के माध्यम से जेलों में बहुत भीड़ को देखते हुए इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की।

माननीय शीर्ष अदालत ने **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोकने और **सामाजिक दूरी** के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होने संबंधित सरकारों/विभागों को जेलों में भीड़ कम करने के लिए विविध उपाय अपनाने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त उन्होने राज्य सरकारों को एक **उच्चाधिकार समिति** का गठन करने के लिए कहा जिसमें शामिल होंगे

(क) राज्य विधिक सेवाएं समिति के कार्यकारी अध्यक्ष

(ख) प्रधान सचिव (गृह/जेल)

(ग) महानिदेशक (जेल),

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने पत्रांक F-9/63/2020/HG/1409 दिनांक 26.03.2020 के द्वारा वर्तमान **उच्चाधिकार समिति** का गठन कर दिया।

समिति का गठन यह आंकने के लिए किया गया कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को

अंतरिम जमानत/पैरोल पर किस अवधि के लिए छोड़ा जा सकता है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि अपराध की प्रकृति और अन्य कोई संबंधित कारकों पर निर्भर करता है। जो कि उचित हो।

इस समिति ने दिनांक **28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020 05.05.2020 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020, 24.10.2020, 28.11.2020,14.01.2021 और 17.02.2021** को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पास किए गए निर्देशों पर चर्चा और विचार विमर्श किया।

इन बैठकों में हुई चर्चा और विचार विमर्श के आधार पर जो सिफारिशें की गई उसका अनुसरण करते हुए **कुल 5124** बंदियों **(विचाराधीन कैदियों और दोषियों)** को रिहा किया गया था जिससे जेलों में तनाव कम हुआ जिसके परिणामस्वरूप जेलों में **भीड़ कम हुई** जिससे कि जेलों के अंदर **सामाजिक दूरी** का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष जेलों से रिहा किए गए बंदियों का संचयी आंकड़े इस प्रकार है:–

दिनांक 09.02.2021 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	**3499**
माननीय उच्च न्यायालय के द्वाराW.P.(Criminal) No.779/2020 में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	**310**
आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	**1184**
दिनांक 10.02.2021 तक सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	**131**
भीड़ कम करने के प्रयास में माननीय उच्चाधिकार समिति के तत्वाधान में दिनांक 10.02.2021 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल विचाराधीन कैदी/दोषी	**5124**

एक वर्ष तक अपने दायित्व का निवर्हन करने के पश्चात इस समिति ने अपनी दिनांक **17.02.2021** को जेल के अंदर के साथ –2 दिल्ली एनसीआर में **कोविड–19** की स्थिति का जायजा लिया और **कोविड–19** पर पिछले **3 सप्ताह** के **दिल्ली राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन** पर विचार करने के पश्चात तत्कालीन मौजूदा स्थिति का आकलन किया और यह **देखा गया** कि दिल्ली एनसीआर में पिछले वर्ष **2020** के मुकाबले स्थिति में **काफी सुधार** हुआ है।

तदानुसार, इस समिति ने दिनांक 17.02.2021 की अपनी बैठक में दिल्ली एनसीआर में **कोविड–19** की स्थिति में सुधार के आधार पर तथा **अनलॉक 5** के संबंध में भारत सरकार द्वारा पास आदेश सं. **40-3/2020-DM-I(A)** दिनांक **30.09.2020** जो कि **दिनांक 15.10.2020** से प्रभावी हुआ पर संज्ञान लेते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय के कार्यालयी आदेश सं. **35/RG/DHC/2021 दिनांक 14.01.2021** पर भी विचार करते हुए जिसमें सभी न्यायालयों जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ –2 अधीनस्थ न्यायालय भी सम्मिलित है, को व्यक्तिगत रूप/विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से **पुनः काम शुरू करने के लिए** कहा गया था, के आधार पर यह **निर्णय** लिया गया कि अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदियों की अवधि आगे **नही बढ़ाने की सिफारिश** की गई। जैसा कि वे सभी **3499 विचाराधीन कैदी** जो कि अंतरिम जमानत पर थे और जिन्होने नियमित जमानत के लिए चाहे संबंधित या उससे ऊपर की अदालत में अर्जी नही दी, उन्हें **जेल में वापिस आत्मसमर्पण** के लिए कहा गया था इसमें आपातकालीन पैरोल पर रिहा **1184 दोषी** भी सम्मिलित थे।

वर्तमान में सामान्य रूप से संपूर्ण भारत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली **कोविड –19** की **दूसरी लहर की चपेट** में है। जो कि चिकित्सा और विशेषज्ञों की राय के अनुसार **पिछले वर्ष की तुलना** में अधिक **विषाणुजनित और घातक** है। कुछ ही हफ्तों में इस दूसरी लहर ने सभी को **हवा में हांफने के लिए** छोड़ दिया है। इसमें **श्वासावरोध** के साथ सांस लेने में कठिनाई होती है। जो कि सबसे भयानक मानवीय अनुभव है। ताजी हवा में सांस लेना मनुष्य अपना अधिकार समझता है जो कि एक मिनट में एक दर्जन बार से अधिक लिया जाता था। वर्तमान परिस्थितयों में एक कठिन परीक्षा में बदल गया है। **अनुच्छेद 21** के तहत **जीने का अधिकार** भारत के प्रत्येक नागरिक का सबसे कीमती मौलिक अधिकार है। यह बिना शर्त समाज से दूर एक विचाराधीन दोषी को भी गले लगा लेता है।

अपनी पिछली बैठक में महसूस की गई स्थिति पर जो विचार किया गया था वह स्थिति अब **360 डिग्री** का मोड़ ले चुकी है और दिन प्रतिदिन **खतरनाक** होती जा रही है। तदानुसार **कोविड –19** के प्रकोप को रोकने के लिए जेलों के अंदर सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाने की **तुरंत और अविलंब** आवश्यकता है और जेलों के अंदर **सामाजिक दूरी** सुनिश्चित करने के लिए कैदियों के वर्ग/श्रेणियों की पहचान और निर्धारण किया जाए उन्हें एक बार फिर **अंतरिम जमानत/पैरोल** पर रिहा किया जा सकता है।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा समिति के संज्ञान में लाए कि आज ही दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दो

जनहित याचिकाएं शीर्षक **आर.के.गोसांई बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य** *WP (C) 4936/2021"* और अन्य याचिका शीर्षक **कन्हैया सिंधल एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार** *"WP (C) 5153/2021"* सूचीबद्ध थी। जिसमें अंतरिम जमानत पर विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए उच्चाधिकार समिति को निर्देश देने की मांग की गई थी।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने अध्यक्ष को अवगत करवाया के उन्होने सुनवाई के दौरान ही आज शाम को **6.00 बजे** के लिए **निर्धारित उच्चाधिकार समिति की वर्तमान बैठक** के बारे में सूचित किया।

इन परिस्थितियों को देखते हुए ही आज **आकस्मिक बैठक** बुलाई जा रही है।

आइटम न. 1:पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार पर कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा

आरंभ में **श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल)** ने माननीय अध्यक्ष को विस्तारपूर्वक पिछली बैठकों में लिए गए **निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों** का पालन करने का जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के विषय में अवगत करवाया। उन्होने आगे सूचित किया कि पहले अपनाए गए निर्णयों का गहनतापूर्वक पालन करने के परिणामस्वरूप वे कोविड–19 के मामलों की वृद्धि के ऊपर जांच रखने में सफल रहे हैं और वे जेल परिसर के अंदर **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के सक्रिय केसों की संख्या को भी कम करने में भी सफल रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) जेल परिसर के अंदर कोविड–19 की दूसरी लहर के आरंभ होने के विषय में समिति के संज्ञान में लाए। वे पत्र संख्या **PS/ DGD.G(P)/2021/856-866 दिनांक 03.05.2021** के उनके पत्र **जिसे उन्होने** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विशेष सचिव (गृह) को संबोधित किया था। उन्होने अध्यक्ष को अवगत करवाया दिनांक 03.05.2021 तक दिल्ली जेल में **कोविड–19** के पॉजिटिव केसों का संचयी आंकड़ा इस प्रकार है:

जेल में बंद कैदियों के मामले : **319** (**65** ठीक हुए, **05** की मृत्यु, **249** सक्रिय मामले)

जेल स्टॉफः 135(**08** ठीक हुए, **127** सक्रिय मामले)

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि कुल 249 कैदी कोविड–19 पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 63 जेल में ही आइसोलेट किया गया है, 67 केन्द्रिय जेल अस्पताल (तिहाड़) में हैं, 37 केन्द्रिय जेल अस्पताल (मंडोली) 16 बुराड़ी अस्पताल में, 14 जीटीबी अस्पताल में, 5 एलएनजेपी अस्पताल में, 4 डीडीयू अस्पताल में, 1 एम्स में और 1 मैक्स अस्पताल में है जबकि 41 ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि दिनांक **20.06.2020** की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर जेल प्रशासन 55 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहा है जिससे वे **प्रतिरक्षा में अक्षम** न हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी रखेंगे।

समिति के सदस्यों ने जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोकने के लिए आगे उठाए जाने वाले संभावित कदमों के विषय में विचार विमर्श किया। यह विचार किया गया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस**) जेल परिसर में केवल निम्नलिखित के द्वारा प्रवेश कर सकता हैः

(क) नए प्रवेशक जिसमें अंतरिम जमानत / आपातकालीन पैरोल / फरलो की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण करने वाले कैदी सम्मिलित हैं।

(ख) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ

(ग) जेल परिसर में राशन या अन्य आवश्यक वस्तुएं देने के लिए जेल परिसर में प्रवेश करने वालों के माध्यम से।

जेल स्टॉफ के लिए एहतियाती उपाय इत्यादि

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वे जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का ICMR के दिशा निर्देशों के आधार पर **रैपिड टेस्ट कर रहें हैं।** उन्होने सूचित किया कि जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ की **थर्मल स्क्रीनिंग** की जाती है। उन्होने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ को आगाह किया है वे आपस में बातचीत करने के साथ –2 कैदियों से बात करते समय **पीपीई किट, मास्क** पहने और **सामाजिक दूरी** का पालन करें। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जैसा कि अध्यक्ष के द्वारा सुझाव दिया गया था कि स्टॉफ **दो परत सुरक्षा** का प्रयोग करें। उन्हें मास्क के अतिरिक्त वाइसर (visor) भी प्रदान किए गए हैं जिसका वे नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहें हैं।

उन्होने यह भी सूचित किया कहा कि दिनांक 03.05.2021 तक कुल **135 जेल स्टॉफ** कोविड पॉजिटिव पाया गया था। जिसमें से **08** पहले ही ठीक हो चुकें है। उन्होने अध्यक्ष को अवगत करवाया कि वर्तमान में जेल स्टॉफ के केवल 12**7** सक्रिय केस है जिसमें से अधिकांशतः घर में एकांत में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जब भी कोई जेल स्टॉफ **कोविड–19 पॉजिटिव** पाया जाता है उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी जाती है और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा जाता है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इस प्रकार के सब केसों की contact tracing की जाती है और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened और टेस्ट कर लिया गया था। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का कैदियों से संपर्क कम कर दिया है जिससे के जेल परिसर के अंदर **कोविड–19** के प्रसार को रोका जा सके।

माननीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि कोविड–19 का नया वेरियंट अधिक **घातक** है इसीलिए जेल स्टॉफ के साथ –2 कैदियों को निर्देश दिए जाए और **डबल मास्क** *एक सर्जिकल और दूसरा कपड़े के मास्क* प्रदान किए जाए। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि वे जेल स्टॉफ के साथ –2 कैदियों को भी ये मास्क प्रदान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कैदी और स्टॉफ हर वक्त डबल मास्क का ही प्रयोग करें।

नए प्रवेशकों, जिसमें अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल/फरलो की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण करने वाले भी सम्मिलित हैं, *के लिए एहतियाती उपाय*

समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श के पश्चात इस समिति की पिछली बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का **दोहराया** कि **नए प्रवेशकों** को **अलगाव वार्ड** में रखा जाएगा। जिससे कि उन्हें पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके।

समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तिहाड़ के जेल न. 1, जेल न.2, जेल न. 4, जेल न.7 और जेल न. 8/9मंडोली की जेल न. 15 जिसमें **248** व्यक्तिगत सेल (संलग्न शौचालयों के साथ) हैं, को **अलगाववार्ड** के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के नए पुरूष कैदियों के लिए बनाया जाए और तिहाड़ की जेल न. 5 को 18–21 वर्ष के बीच की आयु वाले नए कैदियों के लिए अलगाव वार्ड के रूप में बनाया जाए। वहीं नई महिला कैदियों के लिए तिहाड़ की जेल न. 06 को में **अलगाव वार्ड** के रूप में बनाया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि **अलगाव वार्ड** अब पूरी तरह से भर गए हैं, पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से मंडोली जेल के साथ ही स्थित पुलिस क्वार्टरों के आबंटन की मांग की जाए जिससे कि उक्त फ्लैटों को **अस्थाई जेल** के रूप में परिवर्तित किया जा सके और 21 वर्ष से अधिक आयु के **नए प्रवेशकों** को रखने के लिए **अलगाव वार्ड** के रूप में प्रयोग किया जा सके जहां उन्हें 14 दिन की आरंभिक अवधि के लिए रखा जा सके।

अस्थायी जेल : जेलों में अतिरिक्त आवास

प्रधान सचिव (गृह) ने समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने **अधिसूचना न. 9/70/2020/HG/2427-2441 दिनांक 31.07.2020** के द्वारा **कोविड–19** महामारी को दृष्टि में रखते हुए पुलिस आवासीय परिसर, मंडोली जेल, दिल्ली को अगले आदेश तक अस्थायी जेल घोषित किया है।

अध्यक्ष को अवगत करवाया गया कि पुलिस आवासीय परिसर, मंडोली में **12 टावर** हैं जिसमें से प्रत्येक में **30 फ्लैट** हैं। महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि अभी दो टावर **ए और एफ** को बाहरी सुरक्षा बलों के रहने के लिए सुरक्षित कर दिया है जिससे कि वे जेल स्टॉफ से कम घुल मिल न सकें। उन्होने सूचित किया कि बाकि 10 टावर अस्थायी जेल के रूप में पूर्णतः क्रियाशील हैं जहां **नए प्रवेशकों** को रख रहें है।

इस तथ्य से अवगत करवाने पर कि अस्थायी जेलों में कैदियों को रखा गया है और अन्यों को भी इसी प्रकार रखा जाएगा अध्यक्ष ने उपरोक्त अस्थायी जेल में जेल प्राधिकारियों के द्वारा कैदियों के लिए किए गए उनके **सुरक्षा उपायों** के बारे में पूछा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैदियों को इन अस्थायी जेल में रखते समय कोई अप्रिय घटना न हो।

अस्थायी जेल में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा पर अध्यक्ष की चिंता को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को **अस्थायी जेल** में रहने वाले कैदियों के **बचाव और सुरक्षा** के लिए अपनाए गए एहतियाती उपायों से अवगत करवाया।

उन्होने आश्वासन दिया कि कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए **एस.ओ.पी.** और अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार जेल में पालन की जाने वाली आवश्यक सावधानियां**"अस्थायी जेल"** में रखी गई हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि अस्थायी जेल को **सील** करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. से आवश्यक सहयोग लिया गया है जिससे कि अस्थायी जेल के अंदर कैदियों कर अनावश्यक आवाजाही की जांच की जा सके विशेषकर उन फ्लैटस/अपार्टमेन्ट की बालकनी को

सीमित कर दिया गया है जिन्हें अस्थायी जेल में बदला गया है। जैसे कि अस्थायी जेल से कैदियों के भागने की संभावना की भी जांच की गई है और आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि ये सभी टावर पूर्णतः क्रियाशील हैं और इन **अस्थायी जेल** के इन टावरों में लगभग **2000** कैदियों को रख सकतें हैं। महानिदेशक (जेल) से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात समिति का यह विचार है कि जेल में नए प्रवेशकों के लिए **अलगाव वार्ड** बनाने की समस्या काफी हद तक हल हो गई है और यदि गहनतापूर्वक इसका पालन किया जाएगा तो जेल के अंदर **कोविड–19** के प्रसार को रोका जा सकता है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया किया कि **न्यायालय के** द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए विचाराधीन कैदियों / दोषियों के आत्मसमर्पण के अवसर पर उन्हें संबंधित जेल में भेजने से पूर्व अस्थायी जेल में आरंभिक 14 दिन की अवधि के लिए **अस्थायी जेल** में **रखा** जाएगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस सुझाव का पालन किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में तथा मंडोली जेल न. 16 में क्रमशः अलग **अलगाववार्ड** में रखा जाएगा।

जेल अस्पताल

अध्यक्ष ने जेल अस्पताल में **आक्सीजन से सबंधित मशीनों** के प्रयोग के साथ –2 कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** संबंध में पूछताछ की। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने **आक्सीजन से सबंधित 04 मशीने** खरीदी थी उसके पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने **आक्सीजन से सबंधित 15 मशीनों** की आपूर्ति की। अतएव तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल परिसर के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में **आक्सीजन से सबंधित मशीने** उपलब्ध हैं। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** किए जा रहें हैं। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जेल अस्पतालों में उचित संख्या में **ऑक्सीमीटर** और **ऑक्सीजन सिलेंडर** के साथ–2 **आवश्यक दवाइयों और उपकरणों** की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही हैं।

अन्य एहतियाती उपाय

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और **सामाजिक दूरी** के सिद्धांत का **गहनतापूर्वक** पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस)** के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसे ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में **स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार** के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसेः

(ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के **दौरा करने पर रोक**।

(बी) **कैदियों के** वार्ड से बाहर **घूमने फिरने पर रोक।**

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को **नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित** रखना।

(डी) सभी **नए कैदियों** को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में **पूर्व जांच** की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की **खरीद और वितरण।**

(एफ) सभी जेलों में **संदिग्ध कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।**

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा **रसोई की स्वच्छता** और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग **पर बल।**

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम न. 2: जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम

जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहें हैं और जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार **उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ** के लिए **रेपिड टेस्ट** का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल स्टॉफ के लिए **मास्क पहनना** अनिवार्य है और कैदियों से बातचीत करते समय **सामाजिक दूरी बनाए रखने** के लिए आगाह किया गया है। उन्होने **आश्वासन** दिया कि अब से जेल स्टॉफ हर वक्त कैदियों से बातचीत करते समय **डबल मास्क** पहनेंगे।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया। तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

आइटम न. 3: जेल के कैदियों और जेल स्टॉफ का टीकाकरण

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ को **फ्रंट लाइन वर्कर्स** घोषित किया गया था। अतः कोविड–19 के टीकाकरण की **पहले चरण में टीकाकरण** करने का आदेश दिया गया था। उन्होने सूचित किया कि 85% से अधिक जेल स्टॉफ को टीका लग चुका है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को अवगत करवाया कि आज तक **564** जेल कैदियों को टीका लग चुका है।

प्रधान सचिव (गृह) समिति के संज्ञान में लाए कि केन्द्रिय सरकार ने निर्देश दिया है कि **दिनांक 01.05.2021** से **18 वर्ष** से अधिक सभी व्यक्तियों का टीकाकरण होगा।

समिति के सदस्यों ने इस बात पर विचार विमर्श किया और **निर्णय** लिया कि जेल के सभी कैदियों के साथ–2 जेल स्टॉफ का भी **टीकाकरण शीध्र करवाने** की आवश्यकता है जिससे कि जेल परिसर के अंदर **कोविड–19** के प्रसार को कम किया जा सके।

समिति के सदस्यों ने प्रधान सचिव (गृह) से अनुरोध किया कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सामने उठाएं जिससे कि दिल्ली की सभी 16 जेलों में टीकाकरण केन्द्र बनाए जाने के संबंध में उचित कार्यवाही करें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रधान सचिव (गृह) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में पुख्ता प्रयास करेंगे।

आइटम न. 4: जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जा सकने वाले व्यक्तियों के वर्ग/श्रेणी का निर्धारण करने के लिए जेल और दिल्ली में वर्तमान स्थिति का जायजा लेना

समिति के सदस्यों ने स्वयं को उस लक्ष्य को याद करवाया जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***<u>Suo Motu Petition(Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19</u>*** के अंतर्गत उच्चाधिकार समिति का गठन हुआ था जैसे कि **कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता** है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है।

इस समिति का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस महामारी के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व परिस्थितियों जिसके परिणामस्वरूप तालाबंदी और न्यायालय के काम काज प्रतिबंधित हो गए और जेलों में भीड़ कम की गई जिससे कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन हो सके और जेलों के अंदर कोविड –19 के प्रसार को रोका जा सके।

समिति के सदस्यों ने जेल परिसर के अंदर कोविड–19 की स्थिति का जायजा लिया जैसा कि आइटम न. 1 में वर्णित है। समिति के सदस्यों ने दिल्ली एनसीआर में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के द्वारा कोविड–19 की पिछले 4 सप्ताह वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। सारणीबद्ध रूप में यह इस प्रकार है :

दिनांक	टेस्ट आयोजित किया गया	पाजिटिव केस	सकारात्मक दर	मृत्यु
01.04.2021	78073	2790	3.57%	09
02.04.2021	87505	3594	4.11%	14
03.04.2021	79617	3567	4.48%	10
04.04.2021	86899	4033	4.64%	21
05.04.2021	64003	3548	5.54%	15
06.04.2021	103453	5100	4.93%	17
07.04.2021	90201	5506	6.10%	20
08.04.2021	91770	7437	8.10%	24
09.04.2021	109398	8521	7.79%	39
10.04.2021	77374	7897	10.21%	39
11.04.2021	114288	10774	9.43%	48
12.04.2021	92397	11491	12.44%	72

13.04.2021	102460	13468	13.14%	81
14.04.2021	108534	17282	15.92%	104
15.04.2021	82569	16699	20.22%	112
16.04.2021	98957	19468	19.69%	141
17.04.2021	99230	24375	24.56%	167
18.04.2021	85620	25462	29.74%	161
19.04.2021	90696	23686	26.12%	240
20.04.2021	86526	28395	32.82%	277
21.04.2021	78768	24638	31.28%	249
22.04.2021	72208	26169	36.24%	306
23.04.2021	75037	24331	32.43%	348
24.04.2021	74702	24103	32.27%	357
25.04.2021	75912	22933	30.21%	350
26.04.2021	57690	20201	35.02%	380
27.04.2021	73811	24149	32.72%	381
28.04.2021	81829	25986	31.76%	368
29.04.2021	73851	24235	32.82%	395
30.04.2021	82745	27047	32.69%	375
01.05.2021	79780	25219	31.61%	412
02.05.2021	71997	20394	28.33%	407
03.05.2021	61045	18043	29.56%	448

दिल्ली एनसीआर में **कोविड–19** के संबंध में, कुछ महीने पहले फरवरी 2021 की दिनांक 17.02.2021 बैठक के कार्यवृत में सारणीबद्ध आंकड़ों की सांख्यकीय सूचना की तुलना में, स्थिति को देखते हुए यह **स्पष्ट** है कि दिल्ली एनसीआर में **कोविड–19** की स्थिति केवल **चिंताजनक** ही नही बल्कि **खतरनाक** है। पिछले महीने दैनिक आधार पर लगातार न केवल लोगों की **पाजिटिव दर** बढ़ी है बल्कि **कोविड –19** के **पाजिटिव** केसों में **मृत्यु दर** भी **तेजी से बढ़ी** है।

वर्तमान में स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक **खतरनाक** है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि दिल्ली की जेलों की कैदियों को रखने की अधिकतम क्षमता **10,026** की है जबकि उसमें आज की तारीख में **19,679** कैदी बंद हैं जो कि रखने की क्षमता से बहुत अधिक है। समिति के सदस्यों ने देखा कि जेल के अंदर की वास्तविक जनसंख्या ने न केवल प्रशासन को **चिंता** में डाला है बल्कि **सामाजिक दूरी** की आवश्यकता को भी **खतरे** में डाल दिया है। जो कि कैदियों के मध्य वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस समय की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त अधिसूचना न. 256/RG/DHC/2021 दिनांक 08.04.2021 और न. 2/R/RG/DHC/2021 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ–2 अधीनस्थ न्यायालयों में भी कार्यों को केवल अनिवार्य मामलों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है और वह भी केवल वर्चुअल मोड से। इन सभी कारकों को देखने पर सबकी रॉय है कि यह एक आपात स्थिति है जिसमें कैदियों के उस वर्ग/श्रेणी की पहचान करने की आवश्यकता है जिन्हें अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल पर छोड़ा जा सकता है।

समिति के सदस्यों ने कैदियों के प्रस्तावित वर्ग पर चर्चा और विचार विमर्श किया जिन्हें हम इन परिस्थितियों में मुख्यतः व्यक्तिगत बांड पर 90 दिनों के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर सकतें हैं।

(i) *सिविल अपराध के लिए कारावास की सजा प्राप्त कैदी।*

(ii) *वे विचाराधीन कैदी **15 दिन या अधिक** से हिरासत में हैं और एक केस में मुकदमे का सामना कर रहें हैं जिसकी निर्धारित सजा **सात साल** या उससे कम है;*

*(iii) वे विचाराधीन कैदी/ रिमांड कैदी (ये उनसे संबंधित है जिनकी चार्जशीट अभी दायर नही हुई है) जो **15 दिन या अधिक** से हिरासत में हैं और एक केस में मुकदमे का सामना कर रहें हैं जिसकी निर्धारित सजा **सात साल** या उससे कम है;*

(iv) वे विचाराधीन कैदी जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं और जिनकी आयु

*60 साल से अधिक है और **तीन महीने या अधिक** से हिरासत में हैं और एक केस में मुकदमे का सामना कर रहें हैं जिसकी निर्धारित सजा **दस साल** या उससे कम है;*

*(v) वे विचाराधीन कैदी जिनकी आयु 60 साल से कम है और **छः महीने या अधिक** से हिरासत में हैं और एक केस में मुकदमे का सामना कर रहें हैं जिसकी निर्धारित सजा **दस साल** या उससे कम है; इसमें शर्त यह है कि यह अन्य किसी केस में सम्मिलित नही होना चाहिए जिसमें निर्धारित सजा 7 साल या उससे कम है।*

(vi) वे विचाराधीन कैदी जो कि **एचआईवी, कैंसर, किडनी की बीमारी (विचाराधीन कैदी को डायलसिस की आवश्यकता) हैपिटाइटस बी अथवा सी, अस्थमा और टीबी** से पीड़ित हैं *और हिरासत में हैं और ऐसे मामले में मुकदमे का सामना कर रहें हैं जिसमें **दस साल या उससे कम** सजा का प्रावधान है और वह बहुत से अपराधों में शामिल नही है;*

(vii) वे विचाराधीन कैदी जो कि **एचआईवी, कैंसर, किडनी की बीमारी (विचाराधीन कैदी को डायलसिस की आवश्यकता) हैपिटाइटस बी अथवा सी, अस्थमा और टीबी** से पीड़ित हैं *और **तीन महीने या उससे अधिक** अवधि के लिए हिरासत में हैं और ऐसे मामले में मुकदमे का सामना कर रहें हैं जिसमें **दस साल से आजीवन कैद** तक की सजा का प्रावधान है और वह बहुत से अपराधों में शामिल नही है;*

(viii) वे विचाराधीन कैदी जो कि **धारा 304 आईपीसी** के अंतर्गत अपराध के लिए *मुकदमे का सामना कर रहें हैं* और ***छः महीने से अधिक*** *से जेल में हैं तथा अन्य किसी केस में सम्मिलित नही हैं;*

(ix) वे विचाराधीन कैदी जो कि **धारा 307 आईपीसी** के अंतर्गत अपराध के लिए *मुकदमे का सामना कर रहें हैं* और ***छः महीने से अधिक*** *से जेल*

में हैं इसमें शर्त यह है कि यह अन्य किसी केस में सम्मिलित नही होना चाहिए जिसमें निर्धारित सजा 7 साल या उससे कम है;

*(x) वे विचाराधीन कैदी (जिसका मृतक के साथ पति/पत्नी का संबंध था) जो **धारा 304 बी आईपीसी** के अंतर्गत मुकदमें का सामना कर रहें है, **एक से अधिक वर्ष** से जेल में है और वे किसी **अन्य केस में सम्मिलित नही** है;*

*(xi) वे विचाराधीन कैदी (जिनका मृतक के साथ ससुर, सास, देवर, ननद के रूप में संबंध था) जो धारा **304 बी आईपीसी** के अंतर्गत मुकदमें का सामना कर रहें है, **छः वर्ष से अधिक** से जेल में है और वे किसी **अन्य केस में सम्मिलित नही** है;*

आगे यह भी **निर्णय** लिया गया कि विचाराधीन कैदियों की निम्नलिखित श्रेणी यदि उपरोक्त मानदंडों के अंतर्गत आते भी हैं तो उन पर **विचार नही** किया जाएगा।

1. *वे विचाराधीन कैदी जिनका एनडीपीएस अधिनियम के तहत मध्यस्थ/बड़ी मात्रा में वसूली के लिए परीक्षण चल रहा है।*
2. *वे विचाराधीन कैदी जो पोकसो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
3. *वे विचाराधीन कैदी जो धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी और 376 ई और एसिड हमले के तहत अपराधों के लिए मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
4. *वे विचाराधीन कैदी जो विदेशी नागरिक हैं।*
5. *वे विचाराधीन कैदी जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी अधिनियम)/ पीएमएलए के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं, और*
6. *CBI / ED / NIA / दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, SFIO आतंकवाद से संबंधित मामलों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और*

गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम आदि के तहत जांच किए गए मामले।

<u>बहिष्करण खंड</u>

उपर्युक्त छह श्रेणियों के अतिरिक्त समिति ने उन विचाराधीन कैदियों को भी बाहर रखने का **निर्णय** लिया जो यहां दिए गए पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों का लाभ उठाने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हुए और उन्हाने अंतरिम जमानत पर रहते हुए नए अपराध किये। इस प्रकार सातवीं और आठवीं श्रेणी को **बहिष्करण खंड** में सम्मिलित किया गया है।

7. ***उच्चाधिकार समिति के द्वारा उसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर प्रदान की गई अंतरिम जमानत पर छूटे वे कैदी जो अंतरिम जमानत के दौरान अपराध करने के कारण अब हिरासत में हैं।***
8. ***उच्चाधिकार समिति के द्वारा उसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर प्रदान की गई अंतरिम जमानत पर छूटे वे कैदी जो आत्मसमर्पण के आदेश की शर्तों के अनुसार आत्मसमर्पण करने में असफल रहे और उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी होने के पश्चात वे अब हिरासत में हैं।***

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इन नए मानदंडों के आधार पर लगभग **4000 विचाराधीन कैदी** लाभान्वित होंगे और उनकी रिहाई से जेल की आबादी भी **कम होगी** ।

उपरोक्त लचीले मानदंड में आने वाले विचाराधीन कैदी जमानत के लिए अपना आवेदन डीएसएलएसए के **पैनल अधिवक्ताओं या निजी अधिवक्ताओं** के द्वारा प्रस्तुत का सकतें हैं। आवेदन के साथ कस्टडी वारंट की प्रतिलिपि भी संलग्न हो।

अध्यक्ष ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा को निर्देश दिया कि वे जिला जजों से अनुरोध करें कि वे सभी न्यायिक अधिकारियों को अवगत करायें कि यदि विचाराधीन कैदी उपरोक्त मानदंडो के साथ –2 पहले अपनाए गए मानदंडों के अंतर्गत आता है और कोर्ट उससे **संतुष्ट है** तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर उसे **व्यक्तिगत बांड** पर भी छोड़ा जा सकता है जिससे सरकार की **सामाजिक दूरी की नीति** का भी पालन किया जा सकेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आज इस समिति की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को

प्रभावित नही करेगी। जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं** वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को 8 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने के संबंध में फीडबैक

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा ने अध्यक्ष को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की अधिसूचना न. **F.18/191/2015/HG/ 1379/1392** दिनांक **23.03.2020** में **नियम 1212ए** में **आपातकालीन पैरोल** के प्रावधान को शामिल किया गया था।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होने **पत्रांक F.No.10/(3598848)/CJ/Legal/2021/25204** दिनांक **26.04.2021** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विशेष सचिव को पत्र लिखा है। जिसमें वे कैदी जिन्हें पहले **आपातकालीन पैरोल** प्रदान की गई थी और जिन्होने समिति के निर्देशानुसार **आपातकालीन पैरोल** समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया था। **कोविड–19 की दूसरी लहर** को देखते हुए उन्हें **8 सप्ताह** की अवधि के लिए **आपातकालीन पैरोल** प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

समिति के सदस्यों ने जेल के नियमों को देखने के पश्चात यह निर्णय लिया कि केवल वे कैदी जो कि पैरोल/फरलो पर रिहा होने के योग्य हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के आदेश **F.No.18/191/2015/HG/1428-1438** दिनांक **27.03.2020** के आधार पर बनाए गए मानदंडों के अंतर्गत आते हैं उन्हें **आपातकालीन पैरोल** प्रदान करने की सिफारिश की जानी चाहिए।

समिति के सदस्यों ने दिनांक 26.04.2021 के पत्र में महानिदेशक (जेल) के द्वारा किए गए निवेदन पर विचार किया और तदानुसार योग्य कैदियों को **आपातकालीन पैरोल प्रदान करने की सिफारिश की।**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के प्रधान सचिव (गृह) ने समिति को **आश्वासन** दिया कि वे शीध्र ही आवश्यक कार्यवाही के लिए उचित **प्रयास** करेंगे।

आइटम नंबर 6:– सजा की छूट

समिति के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और विचार विमर्श किया और यह निर्णय हुआ कि

(i) वे कैदी जिन्हे **10 साल** की सजा हुई और उन्होने नियमित सजा, जिसमें अभिरक्षा भी सम्मिलित है, के **9 ½** साल पहले ही पूरे कर लिए हैं। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के द्वारा **6 महीने की सजा में विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।

(ii) वे कैदी जिन्हे **7 या अधिक परंतु 10 वर्ष से कम साल** की सजा हुई और उनकी सजा पूरी होने में केवल 5 महीने शेष हैं। उन्हें 5 **महीने की सजा में विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।

(iii) वे कैदी जिन्हे **5 या अधिक साल** की सजा हुई परंतु **7 साल से कम साल** की सजा हुई और उनकी सजा पूरी होने में केवल 4 महीने शेष हैं। उन्हें 4 **महीने की सजा में विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।

(iv) वे कैदी जिन्हे **3 या अधिक साल** की सजा हुई परंतु **5 साल से कम साल** की सजा हुई और उनकी सजा पूरी होने में केवल 3 महीने शेष हैं। उन्हें **3 महीने की सजा में विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।

(v) वे कैदी जिन्हे 1 **या अधिक साल** की सजा हुई परंतु **3 साल से कम साल** की सजा हुई और उनकी सजा पूरी होने में केवल 2 महीने शेष हैं। उन्हें **2 महीने की सजा में विशेष छूट** के लिए विचार किया जा सकता है।

महानिदेशक (जेल) से सिफारिश प्राप्त होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का गृह विभाग **सजा में विशेष छूट** के लिए उपरोक्त मानदंडों पर **शीध्र** विचार कर सकता है।

अतिरिक्त बिंदु :–

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा ने निम्नलिखित मुद्दों की और घ्यान आकर्षित किया जिनके समाधान से जेलों में भीड़ कम करने के दूरगामी परिणम हो सकतें हैं जो कि इस प्रकार हैं –

(क) पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में अभिलिखित निर्देशों और दिशा निर्देशों का पालन नही कर रहें हैं। वे मामलें जिनमें निर्धारित सजा 7 साल से कम है विशेषकर धारा 379 और 411 आई पी सी के मामलों में व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना कारण रिकार्ड किए यांत्रिक तरीके से होती है।

सुझााव :–

(i) पुलिस कमीश्नर सभी डीसीपी को अर्नेश कुमार मामले में दिए गए निर्णय के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। निर्णय के क्रियात्मक भाग को सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य नए सिरे से संचारित कर दिया जाए।

(ii) डीएसएलएसए को निर्देश दिया जाए कि वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे।

(iii) प्रशासनिक साइड से मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पास निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए जा सकतें है।

समिति ने उपरोक्त वर्णित तीन सुझाावों के पालन की सिफारिश की।

इस समिति ने सिफारिश की कि वे सभी न्यायालय जो कि जमानत के आवेदन को देखते हैं वे सुनिश्चित करें कि जमानत के आदेश की प्रतिलिपि निश्चित रूप से संबंधित जेल अधीक्षक के साथ–2 संबंधित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पास उनके रिकार्ड एवं जानकारी के लिए भेजी जाए।

इस बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर की प्रत्याशा में सभी संबंधितों के द्वारा लागू किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल **महानिदेशक (जेल)**	**श्री बी.एस. भल्ला** **प्रधान सचिव (गृह)**	**कंवलजीत अरोड़ा** **सदस्य सचिव** **डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 04.05.2021 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए